कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 556 118 Mg दिनांकः– 02/03/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूडा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन–सूड मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हेक्टेयर वनभूमि का वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0के0क्षे0) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 67 / 2019 / एफ0सी0 / 2492 दिनांक 07.02.2020 आन लाईन प्राप्त दिनांक 27.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार का पूर्व पत्र दिनांक 25.10.2019 का बिन्दुवार उत्तर नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 25.10.2019 का बिन्दुवार उत्तर तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 2731 / 18एम0जी0 दिनांक 09.12.2019 द्वारा आन लाईन पोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियां, प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल, भारत सरकार कैम्प कार्यालय देहरादून, अपर प्रमुख सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु बिन्दुवार आख्या की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से बिन्दुवार आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर मार्ग निर्माण कर स्थानीय जनता को मोटर मार्ग की सुविधा प्रदान की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार वर्णित पत्र की छाया प्रति।

भवदीय

02/03/2020

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल ।

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी,भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलीपि अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2731 / 18 mg दिनांकः– 9/12/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन– सूड मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हैक्टेयर भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भः– भारत सकरार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0सी0/1706 दिनांक 25.10.2019 एवं आन लाईन ई0डी0एस0 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार तैयार कर हार्ड प्रतियों में आपको प्रेषित करते हुए आन लाईन कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क्रसं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्ताव संख्या 8187 के संबंध में कोई टीप प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण में अपनी स्पष्ट टीप इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	इस संबंध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्रांक 2719/18एम0जी0 दिनांक 04.09.2019, 2411/18एम0जी0 दिनांक 07.08.2018 एवं पत्रांक 1483/18एम0जी0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को अवगत कराया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु वर्णित पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
2	In reply to point No. 01 the total tree in forest land are 374 out of which 109 in 0-10 dia. State Government may upload trees details of 374 trees online at para -4 (ii) online part-II.	महोदय भारत सरकार द्वारा 0–10 ब्यास वाले 109 शेष वृक्षों को आन लाईन फार्म–ए के पार्ट–2, के पैरा–4 (ii) में वनभूमि में प्रभावित कुल 374 वृक्षों का विवरण उक्त फार्म–ए में आन लाईन अंकित करने संबंधित कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है, कृपया इसे अपने स्तर से आन लाईन अपलोड करने की कृपा करें।
3	Reply to point No-3 (Employment likely to generate during the construction of project seems incorrect. State Government may provide the correct detail at para E, part I online.)	महोदय आपको अवगत कराया जाना है कि इस परियोजना के निर्माण हेतु 176.20 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत रू0 52.86 लाख मात्र का प्राविधान अस्थाई श्रमिकों के रोजगार हेतु रखा गया है। इस प्रकार परियोजना के निर्माण में रू0 52.86 लाख के सापेक्ष 30

		प्रतिशत रू0 15.858 लाख मात्र अति कुशल श्रमिकों एवं 70 प्रतिशत रू0 37.002 लाख अकुशल श्रमिकों को रोजगार देते हुए कार्य कराया जायेगा। जिसमें अति कुशल श्रमिकों हेतु रू0 505.00 प्रति दिन एवं अकुशल श्रमिकों हेतु रू0 316.00 प्रति दिन की दर से वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु दरें निर्धारित है, जिसके अनुसार अति कुशल (मैशन) श्रमिक की संख्या 3140 एवं अकुशल(मजदूर) श्रमिक की संख्या 11709 इस प्रकार कुल श्रमिकों की संख्या 14849 मात्र आती है, जिन्हें इस परियोजना से अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका विवरण आन लाईन फार्म–ए के पार्ट–1, पैरा–ई में अंकित कर दिया गया है।
	Reply to Point No-4 (State Government may submit original hard copy of digital map of proposed road & CA, ownership proof of CA. CF report, detailed note and NPV calculation sheet.)	इस बिन्दु के कम में आपको वांछित प्रपत्र चार–चार हार्ड प्रतियों में तैयार कर संलग्न करते हुए आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः डिजिटल मैप प्रपोज रोड एण्ड सी0ए0 की एक हार्ड प्रति, ownership proof of CA की एक हार्ड प्रति एवं NPV calculation sheet.की एक हार्ड प्रति संलग्न करते हुए प्रेषित है, तथा आपसे अनुरोध है कि CF report, detailed की प्रति आपके पास यदि मूल में है तो कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
	Reply Point No-5 (Muck Disposal plan found incomplete. State Government may submit the complete muck disposal plan.)	इस बिन्दु के कम में आपको वांछित प्रपत्र चार–चार हार्ड प्रतियों में तैयार कर संलग्न करते हुए आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः एक–एक हार्ड प्रति में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
4	In reply to point no 06 following observation noticed:- (i)The Village Satkhol and Gatoli are connected and requested for approval to connect village Kabhda (60),Nigard (55), Suid(110) and Birkhan (66) . All habitation seems connecting from point 1-7 as per digital map and construction from 7-30 seems for another connectivity.	मार्ग के समरेखण का तैयार जियो रिफरेन्स मैप के बिन्दु सं0 7 पर ग्राम बिरखन (66), बिन्दु सं0 14 पर ग्राम निगराड(55), बिन्दु सं0 17 सूड(110), बिन्दु सं0 27 पर ग्राम खभराड(60) एवं बिन्दु सं0 29 से 30 में प्यूड़ा इण्टर कालेज स्थित है। प्यूड़ा इण्टर कालेज ग्राम बिरखन, सूड, निगराड तथा खभराड के ग्रामीणों के लिए एक मात्र इण्टर कालेज है, जिसमें अधिकांश बच्चे उक्त ग्रामों के अध्ययनरत हैं। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग की आवश्यकता है।
	(ii) In Justification mentioned that 3 km road in Nap land has already been constructed however length in nap land as per lad schedule in only 2.380 mtr. .It seems that road is already constructed in some part of forest land also.	जनपद नैनीताल में कूल–बिरखन–सूड मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किमी0 हेतु शासनादेश सं0 63/111–(2)/06–91(प्रा0आ0)/05 दिनांक 16.01.2006 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 71.20 लाख मात्र की प्राप्त है। मार्ग के किमी0 1 से 3 लम्बाई 3.00

		किमी0 में वृक्ष रहित केवल नापभूमि स्थित होने के कारण उक्त भूमि में मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। उक्त मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से (किमी0 4) लक्ष्मीखान–तल्ला रामगढ– नथुवाखान– प्यूड़ा–क्वारब मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0 26 में स्थित प्यूड़ा को जोड़ने हेतु प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन–सूड़ मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक) लम्बाई 3.00 किमी0 के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 547/111(2)/09–44(प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009 द्वारा रू0 105.00 लाख मात्र की प्राप्त है। इस प्रकार उक्त दोनों मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 7.00 किमी0 है। जिसमें प्रथम मोटर मार्ग के प्रथम 3.00 किमी0 में लम्बाई में वृक्ष रहित नापभूमि होने के कारण व्यापक जनहित में मार्ग का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है। कूल–बिरखन–सूड़ मोटर मार्ग की अवशेष लम्बाई 1.00 किमी0 तथा प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन–सूड (मिसिंग लिक)मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 कुल 4.00 किमी0 विभिन्न स्थान में वनभूमि होने के कारण मोटर मार्ग स्थित वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु समेकित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.00+3.00 = 4.00 किमी. लम्बाई में तैयार किया गया है। अवशेष 4.00 किमी0 लम्बाई की विभिन्न रीचों में निम्नानुसार वनभूमि स्थित होने के कारण मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण आवश्यक था। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु तैयार लैण्ड शैडयूल के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है। आरक्षित वनभूमि 580 मीटर, वन पंचायत की भूमि 190 मीटर, सिविल सोयम भूमि 850 मीटर तथा नापभूमि 2380 मीटर इस प्रकार कुल 4000 मीटर लम्बाई ।
	(iii) लाभान्वित ग्रामों को के0एम0एल0 फाईल पर नहीं दर्शाया गया है। साथ ही उपलब्ध कच्चे मार्ग से Alternate route बनाये ज़ाने पर विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की लोकेशन को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर प्रस्तुत करें।	के0एम0एल0 फाईल बनाकर आन लाईन अपलोड करते हुए मय सी0डी0 आपको संलग्न कर प्रेषित है। उपलब्ध कच्चे मार्ग का दावा मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में भू–वैज्ञानिक द्वारा भी समरेखण का अवलोकन के समय कच्चे मार्ग को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं माना ।
	(iv) राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग के संबंध में Violation report प्रस्तुत करें, तथा जिम्मेदारली निर्धारित कर आंवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	आवेदित प्रस्तावित भूमि में अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः Violation report की आवश्यकता नहीं है। कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में हार्ड कापी के साथ प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 63 पर चस्पा है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

	(v) प्रस्तावित मार्ग का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत Justification प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित मार्ग से सीधे ग्राम बिरखन, सूड, निगराड तथा खभराड के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इन ग्रामों का इस क्षेत्र में एक मात्र इण्टर कालेज प्यूड़ा इटर कालेज ही है, जिसमें इन ग्रामों के अधिकांश बच्चे यहां अध्ययनरत हैं।उक्त के अतिरिक्त यह भी अवत कराया जाना है कि यह मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0 87 के अवरूद्ध होने की स्थिति में अल्मोड़ा और हल्द्वानी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। अतः व्यापक जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संलग्न हार्ड प्रतियों को उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार है।

भवदीय

09/12/19

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– 2731 /18mg दिनांकः– 9/12/19

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालीय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में उपरोक्तानुसार प्रपत्रों की एक–एक हार्ड प्रतियां मय सी0डी0 सहित संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव(वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

09/12/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल